कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–बीजापुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/ 231 /कले./राहत/कोरोना/2021 बीजापुर, दिनांक 15/05/2021

कोविड–19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 763/कले./कोरोना/2021 दिनांक 25.03.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 191/कले./कोरोना/2021 बीजापुर, दिनांक 30.03.2021 एवं आदेश क्रमांक 226/कले./राहत/कोरोना/2021 बीजापुर, दिनांक 07.05.2021 के माध्यम से बीजापुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 16/05/2021 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला बीजापुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।

बीजापुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड–19 पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है। दक्षिण भारत के राज्य आंध्रप्रदेश में कोरोना के नये घातक वेरियंट/स्ट्रेन के पता लगने के कारण कन्टेनमेंट की अवधि बढ़ाया जाना एवं पूर्व में समय–समय पर जारी प्रतिबंधों में छूट दिया जाना भी आवश्यक हो गया है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है, तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। जिससे सम्पूर्ण बीजापुर जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्यालयीन आदेश क्रमांक 763/कले./कोरोना/2021 दिनांक 25.03.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 191/कले./कोरोना/2021 बीजापुर, दिनांक 30.03.2021, आदेश क्रमांक 195/राहत/कोरोना/2021 बीजापुर, दिनांक 15.04.2021, आदेश क्रमांक 211/राहत/कोरोना/2021 बीजापुर, दिनांक 25.04.2021, आदेश क्रमांक/1021/कले./राहत/कोरोना/2021 बीजापुर, दिनांक 04.05.2021 एवं आदेश क्रमांक/226/कले./राहत/कोरोना/2021 बीजापुर, दिनांक 07.05.2021 को अधिक्रमित करते हुए मैं, रितेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बीजापुर निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ :–

1– **बीजापुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 01.06.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा।**

2– **दिनांक 01.06.2021 प्रातः 06.00 बजे तक बीजापुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।**

3– उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु–चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

4– जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों को टोकन की व्यवस्था कर खोली जाए। टोकन सिस्टम के साथ ताकि एक दिन में भीड़ को नियंत्रण किया जा सके। दुकानदार द्वारा 50 से 80 के बीच प्रतिदिन के लिए टोकन जारी किया जाए। हितग्राहियों/लाभार्थियों को राशन वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग उपरोक्तानुसार खाद्यान वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

5– **आटा चक्की, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादक दुकानें, इलेक्ट्रीशियन/प्लम्बर, एसी, कूलर एवं सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं/मरम्मत के लिए दुकानें, बीज/उर्वरक/कीटनाशक/कृषि यंत्रों एवं मरम्मत की दुकानें एवं गोदाम** को सप्ताह के 06 दिन प्रातः 6.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। होम डिलीवरी को प्राथमिकता देवें।

Scanned with CamScanner

6– **सभी प्रकार की मंडियॉं, मॉल एवं सुपर मार्केट पूर्ववत बंद रहेंगे।** आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन–लोडिंग की अनुमति रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 9.00 तक दी जाती है।

7– किराना, आटो पार्टस, मेकेनिक दुकान सप्ताह के सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार तथा इलेक्ट्रीकल, हार्डवेयर, मोबाईल दुकान मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खोली जा सकेंगी। मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये 30 दिवस हेतु दुकान को सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

8– ई– कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फिलपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलिवरी तथा कोरियर डिलिवरी सायं 05.00 बजे तक ही की जा सकेगी।

09– लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर सायं 05.00 बजे तक खोले जायेंगे। मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ–साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी।

10– फल, सब्जी, प्रातः 06.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक –अप/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। **उपरोक्तानुसार होटलों, रेस्टोरेंट्स, बेकरी एवं मिठाई की दुकानों से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहको के लिए इन–हाउस डाइनिंग तथा टेक–अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़–भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड–19 जॉच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड–19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।**

उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड–भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/ अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ–साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जावेगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/ किराना दुकानो से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

11– पेट्रोल पंप सभी के लिए 24 घंटे खोलने की अनुमति रहेगी।

12– गैस एजेंसियों को उनके निर्धारित समय पर खोले जाने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसियां होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।

13– अत्यावश्यक परिवहन से संबंधित वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप/ऑटो पार्टस/गैरेज/टायर पंचर की दुकाने सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी।

14– न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 7.00 बजे से प्रातः 10.00 तक एवं संध्या 5.30 बजे से संध्या 8.00 बजे तक होगी।

15– पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

16– औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था एवं Covid- 19 के लाईडलाईन का पालन करते हुये शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यो को करने की अनुमति होगी।

17– **सभी बाजार, होटल एवं रेस्टोरेंट (होम डिलीवरी को छोडकर) मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल, सुपर मार्केट, कोचिंग क्लासेस, स्कूल एवं कॉलेज (स्कूल विद्यार्थियों के लिए) पान एवं सिगरेट ठेला,**

Scanned with CamScanner

शराब दुकानें, सैलून, पार्क, चलित भोजनालय, ठेला, जिम, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। विवाह कार्यक्रम, अंत्येष्ठि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी संस्कारों के लिए संबंधित अनुविभागिय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सभी प्रकार सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

18– पूर्व से ही विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी।

19– उपरोक्त अवधि में बीजापुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध–सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयर हाउस गोदाम खोले जाने की अनुमति होगी। अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तओं/सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी आपात स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।

बैंकों/पोस्ट ऑफिसों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अवधि के दौरान को–मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए 50 प्रतिशत बैंक कर्मियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु सभी बैंक/शाखाएँ प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक संचालित होगी। मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन के अधीन **समस्त प्रकार के लेन–देन सहित कार्यालय संचालन की अनुमति होगी।**

20– उपरोक्त आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं से जुडे छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय लॉकडाउन में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे।

21– आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 04, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रायोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

22– अपरिहार्य परिस्थितियों में बीजापुर जिले से अन्यत्र आने–जाने वाले यात्रियों को ई–पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख–रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड–19 ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों/ चिकित्सकों/निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों/चिन्हांकित वालेन्टियर्स दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई–पास के रुप मान्य किया जावेगा तथा आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित एस.डी. एम. द्वारा भी पास जारी किये जायेंगे। **बस्तर संभाग के पडोसी राज्य में कोविड–19 के नये स्ट्रेन मिलने के कारण सड़क/रेल/हवाई यात्रा के माध्यम से जिले में आने वाले समस्त वाहनों के यात्रियों का कोविड–19 जांच अनिवार्य होगा।**

23– कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। टीकाकरण के विरूद्व अफवाह फैलाने एवं कोरोना जांच में सहयोग नहीं करने वाले यात्रियों/व्यक्तियों के विरूद्व भा0द0सं0 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with CamScanner

24– कोविड–19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड–19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय–पत्र दिखाने पर कोविड–19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने–जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

25– मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई–कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

26– यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नही होगा। **स्पष्ट किया जाता है कि रजिस्ट्री कार्यालय को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति एवं टोकन प्रणाली के साथ खोलने की अनुमति होगी।** इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

27– राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

28– कोरोना से बचाव के शर्तों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के संचालन की अनुमति रहेगी। वन विभाग द्वारा संचालित कार्यों में संलग्न श्रमिकों को कार्य की अनुमति होगी।

29– जरूरत मंदों को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशों के तहत एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी।

30– **उपरोक्त अवधि में केवल अस्पताल, क्लिनिक, दवा के दुकानें, पशु चारा से संबंधित दुकानें, पेट्रोल पंप एवं होम डिलीवरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेगी।**

31– **सम्पूर्ण जिले में सायं 05.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।**

32– उपरोक्त आदेश में परिस्थितियों को आंकलन कर समय विस्तार एवं संशोधन किया जा सकेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियॉं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

"यह आदेश दिनांक 16.05.2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।"

(रितेश कुमार अग्रवाल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बीजापुर

Scanned with CamScanner

पृ.कमांक /232/ कले. / राहत / कोरोना / 2021 बीजापुर, दिनांक 15/05/2021

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला बीजापुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), जिला बीजापुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला बीजापुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. परिवहन अधिकारी, बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बीजापुर जिला अन्तर्गत आवागमन के दौरान वाहनों के संबंध में इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
15. खाद्य अधिकारी, बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. जनसंपर्क अधिकारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला बीजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
18. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला बीजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
19. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. ..... समस्त आम जनता, जिला बीजापुर द्वारा जनसम्पर्क अधिकारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी

(रितेश कुमार अग्रवाल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बीजापुर
बीजापुर दिनांक 15/05/2021

Scanned with CamScanner